

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

<p>तारीख हुक्म 25/07/25</p>	<p>मुकदमा सं. 406/2023</p> <p>माहीराम/न-दाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMs-2023/488</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 04.08.2025 को पेश हो।</p> <p>राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>04/08/25</p> <p>वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रार्थना पत्र टी0 आई0 एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र टी0 आई0 से संबंधित मूल वादपत्र विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पेश किया गया हैं। मूल वादपत्र प्रतिवादी के जवाब के इन्तजार में विचाराधीन हैं। पक्षकारान की खातेदारी भूमि का बँटवारा सह खातेदारान के मध्य मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद उभय पक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 1340, 1341, 1455, 1456, 1457, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587 कुल किता 15 कुल रकबा 8.17 है0 तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना में प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।</p>
-------------------------------------	--



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

